# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

## अपील संख्या 12/60/2020

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
| --- | --- | --- |
| श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री भगवानसहाय शर्मा नि0 सूर्यनगर कॉलोनी, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के पीछे, बांदीकुई, जिला–दौसा(राज.)–303313 | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ(अलवर) |

**प्रवेश तिथि :: 11.11.2020**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## निर्णय

**दिनांकः 26.11.20**

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 01.09.2020 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जिला कलक्टर कार्यालय, अलवर को आवेदन प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ से संबंधित सूचना की वांछा की गई थी।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पत्रांकः लो.सू.अ./अन्तरण/2020/1109–10 दिनांकः 11.09.20 के माध्यम से अपीलार्थी का आवेदन दिनांकः 01.09.20 अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 27.10.20 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जो राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांकः लो.सू.अ./प्रथम अपील/2020/1480 दिनांकः 11.11.20 के माध्यम से इस न्यायालय को प्राप्त हुई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः आर.टी.आई/2020/11394–95 दिनांकः 18.11.2020 के माध्यम से नोटिस का बिन्दुवार जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील व प्रत्यर्थी की ओर से प्रेषित अपीलोत्तर का परीक्षण किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

P.T.O.

(2)

8. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रा0पत्र दिनांकः 27.10.20 के साथ संलग्न प्रथम आवेदन दिनांकः 01.09.2020 में चाही गई जानकारी धारा 6(1) के तहत विशिष्टीपूर्ण नहीं है, रिकॉर्ड से खोजकर/विश्लेषणोपरांत उपलब्ध कराने वाली सूचना है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत कवर नहीं होती है।
9. प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांकः 8481 दिनांकः 08.10.20 के माध्यम से अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु भी लिखा गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा कोई विवरण/दस्तावेज प्रति प्रत्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई।
10. अतः उक्त आलोक में प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो वांछित जानकारी के संबंध में पृथक से स्पष्ट विवरण/सहायक दस्तावेज प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराते हुए पुनः आवेदन प्रस्तुत करे।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)